

दिनांक 15/01/2024 को देहरादून पुलिस ने अवैध रूप से पशु का माँस विक्रय करने व भैंस का वध करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

दिनांक 15/01/2024 को कोतवाली पटेलनगर पुलिस द्वारा मुस्लिम बस्ती कारगी से 03 अभियुक्तगणों को अवैध रूप से पशु का माँस विक्रय करने व भैंस का वध करने पर गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 02 चापड, 01 कुल्हाडी, 01 छुरी व भैंस का मीट बरामद हुआ मौके पर बरामद भैंस के माँस व अन्य अंगों को दूर जंगल में दफनाकर नष्ट किया गया। जिस सम्बन्ध में थाना पटेलनगर पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध मु0अ0सं0 36/24 धारा-429 भादवि व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 25/4 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगणों को समय से मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण:-

- 1- गुलजार पुत्र वजीर अहमद निवासी मुस्लिम बस्ती कारगी ग्रान्ट कोतवाली पटेलनगर जनपद देहरादून उम्र 40 वर्ष।
- 2- मुस्तकीम पुत्र महमूद निवासी मुस्लिम बस्ती कारगी ग्रान्ट कोतवाली पटेलनगर जनपद देहरादून उम्र 35 वर्ष।
- 3- गुलफाम पुत्र मुनफैत अली निवासी मुस्लिम बस्ती कारगी थाना कोतवाली पटेलनगर जनपद देहरादून उम्र 66 वर्ष।

बरामदगी:-

- 1-चापड-02
- 2-कुल्हाडी-01
- 3-छुरी-01
- 4-भैंस माँस सैम्पल

पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री कुलदीप शाह कोतवाली पटेलनगर देहरादून।
- 2- का0 रिकू कुमार कोतवाली पटेलनगर देहरादून।
- 3- का0 प्रदीप रावत कोतवाली पटेलनगर देहरादून।
- 4- म0का0 सुहाति कोतवाली पटेलनगर देहरादून।

